कार्यालय कलेक्टर, राजनांदगांव
(आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग)
फैक्स नं. 07744–225158, ई–मेल–actd.rajnandgaon@nic.in

क्रमांक /2205/ आजाक / आ.ला.पो.मै.छा. / 2018–2019 राजनांदगांव, दिनांक 14/01/2019

प्रति,

कुलपति / कुलसचिव / अधिष्ठाता / प्राचार्य
शा.अशा. महाविघालय. / इंजीनियरिंग / मेडिकल कालेज / नर्सिंग
आई.टी.आई. / पालिटेक्निक / बी.एड.कालेज / उद्यानिकी / कृषि / वेटनरी / फॉर्मेसी
....
....
जिला– राजनांदगांव

विषयः– **वर्ष 2018–19 में अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति एंव अन्य पिछडा वर्ग के लिए आनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन एंव स्वीकृति की तिथि वृद्धि बाबत्।**

संदर्भः– कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर के पत्र क्रमांक / आ.ला.पो.मै.छा. / 101 / 2018–19 / 9684 रायपुर, दिनांक 14 / 01 / 2019

––000––

राजनांदगांव जिलें में संचालित समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय,इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, आई.टी.आई., पालिटेक्निक, कृषि, उद्यानिकी फॉर्मेसी आदि के संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एंव संस्था में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एंव पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों जिनको विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण की पात्रता हैं को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2018–19 हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति **(कक्षा 12वी. से उच्चतर) महाविद्यालय स्तर** के आवेदन, स्वीकृति एंव वितरण की कार्यवाही tribal.cg.gov.in/escholarship वेबसाइट पर ऑनलाईन प्रारंभ की जा चुकी है। किंतु पोर्टल का अवलोकन करने पर यह ज्ञात हो रहा है, कि आज दिनांक को भी कई विद्यार्थियों द्वारा आवेदन नही किया गया है।

अतः शेष विद्यार्थियों हेतु आवेदन करने एंव संस्थाओं को प्रस्ताव / स्वीकृति लाक करने हेतु निम्नानुसार समय–सीमा में वृद्धि की गई हैः–

क्रं.	प्रकिया	अंतिम तिथि
1	**विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन एंव नवीनीकरण)**	दिनांक 16.01.2019 सें 30.01.2019 तक
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 16.01.2019 सें 20.02.2019 तक
3	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 16.01.2019 सें 11.03.2019 तक
4	संस्थाओं द्वारा KYC जमा करने हेतु	दिनांक 25.03.2019 तक

निर्धारित तिथियों के पश्चात शिक्षा सत्र 2018–19 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नहीं किये जावेंगे एंव Draft Proposal अथवा Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नही किया जायेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नही करने पर संबंधित विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिये संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

नोटः–01) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर)अनु.जनजाति (ST) वर्ग के जिन विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में National Scholarship Portal (scholarships.gov.in) पर आवेदन किया जा चुका हैं, उन्हें भी पुनः विभाग की वेबसाइट (tribal.cg.gov.in/escholarship) पर आवेदन करना अनिवार्य है। उनको केवल इसी पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदाय की जायेगी।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास, राजनांदगांव

D:\P.M.S.SCHOLARSHIP\ACTD RJN..doc 851